न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्र0 प0 संख्या 108/2019

1. भंवरसिंह
2. सुल्तान सिंह
3. झाबर सिंह
4. छोटूराम पुत्रगण रुघनाथ समस्त जाति जाट निवासीगण गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र नारायण जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर
2. तहसीलदार, सीकर

– अप्रार्थीगण –

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –वकील प्रार्थीगण – श्री ताराचन्द यादव
वकील अप्रार्थीगण – श्री भगवान सिंह धायल

निर्णय

दिनांक : 1.09.2022

वकील प्रार्थीगण ने एक दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मय आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया । आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1674/478 रकबा 2.07 है0, 1648/478 रकबा 0.31 है0 अवस्थित है। जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खपातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता रुघनाथ का हिस्सा 3/238 तथा अप्रार्थी का 235/238 अंकित है। प्रार्थीगण के

पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थीगण उसके उत्तराधिकारी है। पक्षकार अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। भूमियों का विधिवत बंटवारा नही हुआ है। विवादित भूमि जयपुर बीकानेर बाई पास के दोनों तरफ होने के कारण काफी किमती हो गई है। पक्षकारान के मध्य आपसी मनमुटाव चलता रहता है। बंटवारा करवाने के लिये कहा तो मना कर दिया तथा आये दिन लड़ाई झगड़ा करता रहता है। दिनांक 30.12.2019 को प्रार्थीगण अपने हिस्से पर कार्य करवा रहे थे तो अप्रार्थी संख्या 1 अपनी भूमि पर दो तीन व्यक्तियों को लेकर खड़ा था। प्रयोजन पूछा तो कहा कि मै सड़क से लगती हुई भूमि पर बिना बंटवारा करवाये दुकानों का निर्माण करवाकर दुकाने बेचूंगा तथा भूमि को अजनबी व्यक्तियों को विक्रय करने की धमकी दी। मना करने के बावजूद निर्माण सामग्री डालकर निर्माण कार्य चालू कर लिया। अप्रार्थी संख्या 1 ऐसा करने में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को असीम क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमया जावे कि वे तादौराने दावा भूमि को विक्रय नहीं करें तथा मौकी वर्तमान स्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्यां 1 जरिये वकील उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत किया। अपने जवाब में प्रार्थीगएर के कथनों का खण्डन करते हुऐ कथन किया कि बंटवारे के वाद सभी पक्षकार बनाये जाने पर प्रस्तुत किया जाना चाहिये। प्रार्थीगण ने अपनी बहनों को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। वास्तविक स्थित यह है कि विवादित भूमि के मूल खसरा नम्बर 478 रकबा 2.92 है0 था जिसमें से जयपुर बीकानेर बाई पास सड़क में 0.54 है0 भूमि तथा 0.03 है0 भूमि आवेदन के पिता को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि दक्षिणी पूर्वी हिस्से की दी गई जिसको अपनी भूमि खसरा नम्बर 479 में सम्मिलित कर लिया सड़क में आने वाली भूमि के नये खसरा नम्बर 478/1 तथा अनावेदक की शेष बची भूमि जो सड़क के उत्तर की ओर अवस्थित है के खसरा नम्बर 1647/478 रकबा 2.07 है0 है। सड़क के दक्षिण की ओर अवस्थित भूमि के खसरा नम्बर 1648/478 कुल रकबा 0.31 है0 बनाया जिसका कुल रकबा 2.38 है0 है, जिसमें वादी के पिता को विक्रित भूमि 0.03 है0 के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 235/238 अप्रर्थी एवं 3/238 आवेदक के पिता के नाम दर्ज की गई। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक ही मौके पर कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण संख्या बल के आधार पर ज्यादा है जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विक्रत भूमि की जगह अधिक भूमि बाईपास पर आयी भूमि में से जबरन लने पर उतारू हैं। प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 479 से लगती खसरा नम्बर 1648/478 रकबा 0.31 है0 के मध्य की सीमा को मिटाकर अप्रार्थी की भूमि को जबरन कब्जा करना चाहते हैं। प्रार्थी ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान कर तारबंदी एवं पत्थरगढी

कर रखी थी जिसे जबरन प्रार्थीगण उखाड़ कर ले गये । जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में की गई। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है ना ही उनको कोई अपूरणिय क्षति होगी बलकि अप्रार्थी/जवाबदाता का प्रथम दृष्टया मामला बनता है तथा उसे ही अपूरणिय क्षति होगी। अतः आवेदन प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई जो मुताबिक आवेदन, जवाब आवेदन रही। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निर्णय के लिये तींन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णित क्षति पर विचारण किया जाता है। जो निम्न प्रकार से हैं–

1. **प्रथम दृष्टया मामला–** प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में उपरोक्त विवादित कृषि भूमि की खातेदारी रूघनाथ पुत्र सुखदेव हिस्सा 3/238 एवं रामेश्वर पुत्र नारायण हिस्सा 235/238 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण के अनुसार उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है वारिसान की हैसियत से दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी का कथन है कि रूघनाथ के सभी वारिसान उसकी पुत्रियों को पक्षकारान नहीं बनाया गया है। तथा बना बंटवारे के निर्माण कार्य किया जा रहा है। अप्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि के मूल खसरा नम्बर 478 रकबे 2.92 है0 था जिसमें से जयपुर बीकानेर बाई पास सड़क में 0.54 है0 भूमि तथा 0.03 है0 भूमि आवेदन के पिता को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि दक्षिणी पूर्वी हिस्से की दी गई जिसको अपनी भूमि खसरा नम्बर 479 में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की 0.03 है0 भूमि हिस्से में आती है जिसके बाबत अप्रार्थी ने कथन किया है कि उसने उक्त भूमि उन्होने अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 479 में सम्मिलित कर ली । इस बाबत की पुष्टि दिनांक 12.12.2019 की लिखावट से भी होती है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं है।
2. सुविधा का संतुलन – प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है साथ ही विवादित भूमि के बाबत पक्षकारान के मध्य लिखावट हाने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।
3. अपूर्णिय क्षति – उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण को किसी प्रकार से अपूर्णिय क्षति नहीं हो रही है । इस प्रकार अपूर्णिय क्षति का सिद्वांत भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

4. निष्कर्ष– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पक्ष में कोई भी बिन्दु प्रमाणित नहीं है तथा वह स्पच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आये है। अतः वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1674/478 रकबा 2.07 है0, 1648/478 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1·9·22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर